

राजस्थान सरकार  
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग  
राजस्थान, जयपुर

अत्यावश्यक

क्रमांक :- प.5 (291) निपेवि/नियम/2016

दिनांक :- 2378-2430-H

21-10-2016

- (1) कोषाधिकारी (संभारस्त)  
राजस्थान
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हक)  
राज. जयपुर
- (3) निदेशक, कोष एवं लेखा,  
राज. जयपुर

विषय :- 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन बाबत।

सन्दर्भ :- भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन क्रमांक F. No. 38/37/2016  
- P&PW (A) (II) दिनांक 04.08.2016

महोदय,

उपयुक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित कार्यालय ज्ञापन की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा संख्या-9 में पेंशन वितरण अधिकारी अर्थात् कोषाधिकारी को पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन (Consolidation of pension) हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का संशोधन कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04.08.2016 के बिन्दु संख्या 4.1 के अनुसार करने का श्रम करावें तथा संबन्धित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गणना पत्र की प्रति सम्बन्धित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को भी दी जावे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


भवदीय.



(के.के. गौडियोक)  
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(ए-1) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ .1 (21) Pers / A-1/ Accts/ 2014 दिनांक 18.10.2016 के क्रम में
2. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
3. सयुक्त निदेशक, पीआर- I अनुभाग, पेंशन निदेशालय जयपुर।



(के.के. गौडियोक)  
निदेशक

